

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अराई (अजमेर)

• जीतराम पुत्र नोरत जाति जाट निवासी ग्राम भोगादीत तह0 अराई जिला अजमेर व अन्य

-वादीगण

बनाम

मोहन पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी पडासोली दूदू हाल निवासी ग्राम भोगादीत तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य

-प्रतिवादी।

किस्म मुकदमा- धारा 251 (क) भू0राजस्व अधिनियम 1956

नंबर 46/2025

ऑनलाइन नंबर 2025/...87

वकील वादी:- अशोक शर्मा

वकील प्रतिवादीगण.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11/8/25	<p>यह वाद पत्र वादीगण की ओर से वकील वादी श्री अशोक शर्मा ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 22/8/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी अराई</p>	
22/8/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्ष द्वारा उपरोक्त प्रतिवादी बनाम। की ओर से वकील शमीर नाल मोधरी एडवोकेट ने पत्रावली नामा पेश किया। पत्रावली वाद पत्रावली गण दिनांक 19/9/25 में पेश की।</p>	<p>उपरोक्त पत्र की तामील में प्रतिवादी को सम्मन नोटिस जारी किया गया।</p> <p style="text-align: right;">22/8/25</p>
19/9/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्ष कारण उपरोक्त प्रतिवादी बनाम। की ओर से वकील शमीर नाल मोधरी एडवोकेट ने पत्रावली दिनांक 19/9/25 में पेश की।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी अराई</p>	
19/9/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्ष द्वारा उपरोक्त पत्रावली वाद पत्रावली गण दिनांक 24/11/25 में पेश की।</p>	

24/11/20

पत्रावली पंल डूई / वकील पत्रावली
वकील वारी द्वारा सम्मन नोटिस के मात
वाड की प्रति पत्रावली को नही भिजवली है
जो कि क्रि. क्रि. 5 R 2 के तहत वाड को खारीक
किया जाता है। पत्रावली पंल डूई
मम्का ले वद है।

88

24/11/20

~~पत्रावली पंल डूई / वकील पत्रावली
वकील वारी द्वारा सम्मन नोटिस के मात
वाड की प्रति पत्रावली को नही भिजवली है
जो कि क्रि. क्रि. 5 R 2 के तहत वाड को खारीक
किया जाता है। पत्रावली पंल डूई
मम्का ले वद है।~~